



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

पत्रांक:- -प्रनि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-1/प्रोन्नति

दिनांक .07.15

कार्यालय - झाप

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय विनियमावली-1970 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थायी एवं अनुमोदित पदस्थिति में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद पर सेवारत अधोनामित कार्मिकों को उनके पदभार ग्रहण तिथि से आशुलिपिक श्रेणी-1 (मु०अ०स०) के पद पर वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800 में ग्रेड-पे रू० 4200 में प्रोन्नति करके उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 के नीचे अंकित कार्यालय में एतद्वारा नवतैनाती की जाती है :-

क्र. सं	कार्मिक का नाम/पदनाम	जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पदस्थिति में तैनाती कार्यालय	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6
1	श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद जैन	16.01.58	प्र०नि० कार्यालय (सम्बद्ध), वि०वि०मं, आगरा	मु०अभि०(वि०), आगरा	रिक्त पद के विरुद्ध
2	श्रीमती सुधा द्विवेदी पत्नी श्री शिवानन्द द्विवेदी	07.03.60	वि०वि०खं०-1, कानपुर	मु०अभि०(वि०), कानपुर	रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त आशुलिपिक श्रेणी-2 से आशुलिपिक श्रेणी-1 (मु०अ०स०) के पद पर प्रोन्नति आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किये जा रहे हैं :-

- उपरोक्त नामित पदधारियों में से किसी कार्मिक/कार्मिकों के विरुद्ध निम्न में से किसी एक या अधिक बिन्दुओं पर अनुशासनिक कार्यवाही/सर्तकता जाँच/अभियोजन लम्बित हो तो कार्मिक पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त समझा जायेगा। पदधारी/पदधारियों को प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति पदस्थिति में पदभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।
(क) सर्तकता की कोई खुली जाँच तो नहीं चल रही है।
(ख) प्रशासनाधिकरण को उनके विरुद्ध कोई मामला सुपुर्द तो नहीं किया गया है।
(ग) कोई विभागीय कार्यवाही तो नहीं चल रही है।
(घ) कोई अभियोजन तो नहीं चल रहा है।
- उपरोक्त नामित क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित आशुलिपिक श्रेणी-1 (मु०अ०स०) के पद पर प्रोन्नति पाये कार्मिक जिनके विरुद्ध क, ख, ग एवं घ में से किन्हीं एक भी बिन्दु पर कोई कार्यवाही न चल रही हो तो उन्हें पत्र निर्गत की दिनांक से विलम्बत एक माह तक प्रोन्नति पद स्थिति में पदभार ग्रहण करना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में उनके प्रोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो जायें तथा जिसके लिये अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं भविष्य में उन्हें प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति के लिये विचारित नहीं किया जायेगा।
उक्त नामित पदधारियों की प्रोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें यात्रा-भत्ता एवं पदभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- 7114 -प्रनि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-1/तद्दिनांक 16.07.15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा/कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त कार्मिकों की प्रोन्नत पद स्थिति में योगदान की तिथि से अवगत करायें।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि०, अलीगढ़/झांसी/बांदा।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, आगरा/कानपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम कानपुर।
- अधिशाली अभियन्ता (प्रशासन), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, द०वि०वि०नि०लि० आगरा।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

(अशोक कैम)

अधिशाली अभियन्ता (प्रशासन)